भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1083
29.07.2024 को उत्तर के लिए

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन

1083. श्री राजमोहन उन्नीथन

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य के कासरगोड जिले के लोग जंगली जानवरों, विशेषकर बंदरों से त्रस्त हैं जो कच्ची फसलों को नष्ट करते हैं और लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को परेशान करते हैं;
(ख) क्या राज्य का वन्यजीव विभाग भी इस मामले में असहाय है क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची के अंतर्गत बंदरों का संरक्षण किया जाता है;
(ग) क्या सरकार का उक्त अधिनियम में संशोधन करने और बंदरों सहित जान-माल के लिए खतरा पैदा करने वाली प्रजातियों को इसमें शामिल करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ग): केरल राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, कासरगोड जिले में मानव-बोनेट मकाक संघर्ष की इक्का-दुक्का घटनाएं हुई थीं। मुख्य वन्यजीव वार्डन, केरल द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किए जाते हैं और ऐसी घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदकों को मुआवजे का भुगतान भी किया जाता है।

(ग), (घ) और (ङ): वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को हाल ही में संशोधित किया गया है जिसमें अधिनियम में संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में वन्यजीवों की प्रजातियों की सूची को तर्कसंगत बनाना भी शामिल है। वर्तमान में, इन अनुसूचियों में नई प्रजातियों को शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
